

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक A/208 /

जबलपुर, दिनांक 22/01/2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/596, जबलपुर, दिनांक 31.01.2023, आदेश क्रमांक डी/594, जबलपुर, दिनांक 31.01.2023 एवं आदेश क्रमांक बी/1472, जबलपुर, दिनांक 07.05.2024 के तारतम्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर के निम्न आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्यों को निम्न तालिका के कॉलम नं. 3 में दर्शाये पदांकित पदनाम आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.	कार्यरत नवगठित सेवा के सदस्य का नाम	पदांकित पदनाम
1	2	3
1.	श्री अजय मौर्य	खलासी
2.	श्री रवि रजक	चौकीदार
3.	श्री विष्णु प्रसाद मिश्र	माली
4.	श्री संतोष साहू	माली
5.	श्री अजय पटेल	माली
6.	श्री भांगडा डोडवा	माली
7.	श्री सुनील चौहान	माली


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक A/209 /

जबलपुर, दिनांक 22/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर(म.प्र.) की ओर आपके ज्ञापन क्रमांक प्रशासन/277-ए/3596 इंदौर, दिनांक 17.12.2024 के तारतम्य में,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स/डिप्टी रजिस्टार कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री अजय मौर्य, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
9. श्री रवि रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

10. श्री विष्णु प्रसाद मिश्र, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 11. श्री संतोष साहू, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 12. श्री अजय पटेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 13. श्री भांगडा डोडवा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 14. श्री सुनील चौहान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित करते हुये सूचित किया जाता है कि भविष्य में सभी आकस्मिकता निधी से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य किसी भी प्रकार का कार्यालयीन पत्राचार पदांकित पदनाम लेख कर ही करें।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार प्रशासन